गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल, दिल्ली का रक्त बैंक

1785. **श्री बन्ता सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल, दिल्ली का रक्त बैंक शाम को 4.00 बजे तक ही खुला रहता है ;

(ख) यदि हां, तो उस समय के बाद आपाती मामलों में रक्त सप्लाई करने के लिए क्या व्यवस्था है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनेक संसद् सदस्यों और सामाजिक संस्थाओं ने इसे चौबीसों घंटे खुला रखने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस रक्त बैंक को कब से चौबीसों घंटे खुला रखने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल का रक्त बैंक सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1 बजे तक खुला रहता है। उक्त समय के अलावा आपाती रोगियों के लिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के निकटवर्ती रक्त बैंक से रक्त लिया जाता है ।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि एक संसद सदस्य से ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ था। किन्तु वे रक्त बैंक को चौबीसों घंटे खोले रखना आवश्यक नहीं समझते क्योंकि आपाती रोगियों के लिए रक्त लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के निकटवर्ती रक्त बैंक से लिया जा सकता है।

Wages to Labourers by tiie Food Corporation of India

1786. SHRI SURAJ PRASAD;
SHRI YOGENDRA SHARMA:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether the Food Corporation of India's departmentalised handling labour in. its godowns in West Bengal are being paid revised wages at par with the port and dock workers;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether such workers in Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Orissa and Assam are denied revised wages in violation of principles of equal pay for equal work; and

(d) if so, what steps are being taken to revise their wages?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI M. S. SAN-JEEVI RAO): (a) and (b) The departmental workers of the Food Corporation of India working jn poits and docks of Calcutta and in the port-city godowns **are** paid the same wage-scales as port and dock workers. A statement indicating the wage structure is attached.

(c) and (d) The departmental workers in Delhi and Uttar Pradesh are being paid wages as per wage-structure evolved for them in 1978. The departmental workers of Assam, Bihar and Orissa are being paid wages as per award given by Justice Mitra in an arbitration. Further revision of wages was also considered but the offer is not acceptable to the Union and they have filed a writ in the Supreme Court.